न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3203–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण कमांक 202/11–12

इन्दर सिंह पिता मुन्नालाल
निवासी ग्राम मांगल्या सडक,
तहसील सांवेर जिला इंदौर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

सुरेश पिता श्री प्रेमनारायण गारी
निवासी ग्राम गारी पिपल्या तहसील सांवेर
जिला इंदौर म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री व्ही0 के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री जसवंत सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 26 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 24–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके नाम ग्राम गारी पिपल्या , तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे कमांक 240/2 एवं 242/2 रकबा कमशः 1.246 हेक्टेयर एवं

0 623 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । उक्त भूमि पर कम्प्यूटर शाखा द्वारा गलत तरीके से खसरे के कालम नंबर 12 में आवेदक का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है । अतः खसरे के कालम नंबर 12 से आवेदक का नाम कम किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–74/09–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 9–10–2009 को आदेश पारित कर खसरे के कालम नंबर 12 से आवेदक का कब्जा दर्ज होने संबंधी प्रविष्टि विलोपित की गई । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–10–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–7–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर आवेदक का खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जा दर्ज है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में करार पूर्ति का दावा भी लंबित है, अतः तहसीलदार द्वारा कब्जे की प्रविष्टि विलोपित करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत तहसीलदार को मौके पर कब्जे की जांच कर कब्जा दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और केवल पटवारी रिकार्ड एवं अनावेदक के आवेदन पत्र पर आवेदक का कब्जा निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि वर्ष 2003 में प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश तहसील न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से वह आदेश अंतिम हो गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश है कि आवेदक को कब्जे से बेदखल न किया जाये । तर्क के समर्थन में 2001 राजस्व निर्णय 298 एवं 2000 राजस्व निर्णय 177 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत खसरे के कालम नंबर 12 में किये गये इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । चूँकि खसरे के कालम नंबर 12 में आवेदक का कब्जा दर्ज करने संबंधी प्रविष्टि विधिसम्मत नहीं थी और बाद के वर्षों में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं रहा, अतः उक्त प्रविष्टि निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) व्यवहार वाद कमांक 79ए/2000 में दिनांक 8–4–2004 को आवेदक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित हुई है । उक्त निर्णय में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय किये जाने एवं उसका कब्जा होना प्रमाणित नहीं पाया गया है और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होने से तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में की गई प्रविष्टि विलोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि दिनांक 30–10–2003 के अनुसार खसरे के कालम नंबर 12 में उसका कब्जा इंन्द्राज किया गया है, जो अंतिम होकर उसकी अपील नहीं करने से अनावेदक पर बंधनकारी है, क्योंकि आवेदक की ओर से इस तथ्य को छिपाया गया है कि उक्त आदेश के पश्चात व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 8–4–2004 को आदेश पारित किया गया है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 30–10–2003 व्यवहार न्यायालय के आदेश के अद्यधीन होकर प्रभाव हीन हो गया है । तर्क के समर्थन में 1988 राजस्व निर्णय 4, 1992 राजस्व निर्णय 330, 2004 राजस्व निर्णय 282, 2006 राजस्व निर्णय 1045, 1994 राजस्व निर्णय 411, 1985 राजस्व निर्णय 218, 2006 राजस्व निर्णय 375, 2000 (III) डब्लूएन 154 एवं 2009 (I) एलपीजेआर 131 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा इस

आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2006–07 के खसरे के कालम नंबर 12 में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदक का कब्जा है और उक्त भूमि उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि है । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र के आधार पर पटवारी से प्रतिवेदन चाहा गया और पटवारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक सुरेश की पैत्रिक संपत्ति है और तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–6/99–2000 में दिनांक 30–10–2003 को आदेश पारित कर आवेदक इन्दरसिंह का कब्जा खसरे के कालम नंबर 12 में दर्ज किया गया है । उक्त कब्जा 2006–07 के खसरे में दर्ज है । इसके पश्चात 2007–08 व 2008–09 में कब्जा इन्द्राज का आदेश नहीं मिलने से इन्द्राज नहीं किया गया है । मौके पर कोई फसल नहीं है और व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक का वाद निरस्त किया गया है तथा षष्टम अपर जिला न्यायाधीश इंदौर द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा खसरे के कालम नंबर 12 में प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक के कब्जे की प्रविष्टि विलोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । क्योंकि जब व्यवहार न्यायालय द्वारा ही प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं पाया है तब खसरे के कालम नंबर 12 में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज रहने का कोई औचित्य नहीं है । इस प्रकार तहसील न्यायालय का आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया गया है और करार पूर्ति का दावा लंबित है । क्योंकि उक्त तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है । वैसे भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत कब्जे की प्रविष्टि का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है । चूँकि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2003 के पश्चात व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं पाया गया है । अतः आवेदक के विद्वान

अभिभाषक का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि दिनांक 30–10–2003 के आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से वह अंतिम हो गया है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी उचित नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह नहीं बतलाया जा सका कि तहसील न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से उसके साथ तथ्यतः अन्याय क्या हुआ है, जबकि व्यवहार न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं पाया गया है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(सन्दीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर